डॉ. रवि रंजन से पहले, जे.

संतोश देवी और अन्य-अपीलार्थी

बनाम

रविन्द्र सिंह और अन्य-प्रतिवादीगणओं के लिए

एफ. ए. ओ. सं. 4041/2014

29 अक्टूबर, 2019

मोटर वाहन अधिनियम, 1988-मोटर दुर्घटना-मृत्यु मामला-मृत पत्नी, बच्चों और माता-पिता द्वारा दावा याचिका-न्यायाधिकरण ने मुआवजे का आदेश दिया-वृद्धि के लिए दावेदारों की अपील-व्यक्तिगत खर्चों की कटौती-आयोजित, क्योंकि आश्रितों की संख्या पांच है, व्यक्तिगत खर्चों के लिए कटौती मृतक की आय का केवल 1⁄4 होगी।भविष्य की संभावनाएं-40 वर्ष से कम आयु के मृतक-चाहे वे स्व-नियोजित हों, दैनिक वेतन पर काम कर रहे हों या निश्चित वेतन पर काम कर रहे हों-स्थापित आय का 40 प्रतिशत जोड़ा जाएगा।संघ का नुकसान-स्पौसल कंसोर्टियम, फिलियल कंसोर्टियम और पेरेंटल कंसोर्टियम का वर्गीकरण-तीनों श्रेणियां प्रत्येक Rs.40,000/-के संघ के हकदार हैं।अंत्येष्टि खर्च और संपत्ति की हानि-प्रत्येक Rs.15000-न्यायाधिकरण के निर्णय को तदनुसार संशोधित किया गया। मान लिया कि जहां तक व्यक्तिगत खर्चों की कटौती का संबंध है, यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से बिल्कुल स्पष्ट है सरला वर्मा मामले (ऊपर) में प्रस्तुत किया गया है कि, यदि संख्या आश्रित 4 से 6 के बीच हैं, तो आय का केवल एक चौथाई हिस्सा मृतक के व्यक्तिगत खर्च के सिर पर काटा जाना है। वर्तमान मामले में इनकी संख्या पाँच है।यह मानते हुए भी कि पिता मृतक पर निर्भर नहीं था, ऐसे मामले में भी आश्रितों की संख्या चार विधवा और दो

नाबालिग बच्चे और मृतक की मां होनी चाहिए और इस प्रकार, अपीलार्थियों की ओर से प्रस्तुत तर्क का यह अंग सही प्रतीत होता है। तदनुसार, इस संबंध में विवादित पुरस्कार को संशोधित करने की आवश्यकता है। (पैरा 4)

आगे कहा कि, &#39;भविष्य की संभावना&#39; के मुद्दे को उठाते हुए, अब भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय के बाद राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड में प्रस्तुत किया गया है। बनाम प्रणय सेठी और अन्य, 2017 (4) आर. सी. आर. (सिविल) 1009, यह मानते हुए भी कि मृतक स्व-नियोजित था या एक निश्चित वेतन पर कार्यरत था या दैनिक वेतनभोगी था, यदि उसकी आयु 40 वर्ष से कम है तो 40 प्रतिशत

निर्भरता की गणना के लिए भविष्य की संभावना के शीर्ष के खिलाफ स्थापित आय को जोड़ा जाना चाहिए।अतः पुरस्कार को इस आधार पर भी संशोधित

करने की आवश्यकता है। (पैरा 5) आगे कहा कि, जहां तक संघ के हिस्से का संबंध है, इसे प्रणय सेठी मामले (ऊपर) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में अनुमति दी जानी चाहिए, जिसमें कहा गया है कि संघ के नुकसान के लिए Rs.40,000/- देना होगा।हालाँकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने बाद के निर्णय में मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में दिया। बनाम नानू राम उपनाम चुहरू राम और अन्य, 2018 (4) आर. सी. आर. (सिविल) 333 ने प्रणय सेठी के मामले (उपरोक्त) में दिए गए निर्णय पर विचार करने, समझाने और उसका पालन करने के बाद संघ को तीन प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया है।पहला स्पौसल कंसोर्टियम होगा जो जीवित जीवनसाथी के लिए उनमें से एक की मृत्यु पर उपलब्ध होगा और दूसरा फिलियल कंसोर्टियम होगा, जो माता-पिता को उनके बच्चे की मृत्यु के लिए उपलब्ध होगा और तीसरा पेरेंटल कंसोर्टियम होगा जो बच्चों को उनके माता-पिता या माता-पिता में से एक के नुकसान के लिए उपलब्ध होगा।माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि वे सभी संघ के नुकसान के संबंधित प्रमुख के विरुद्ध प्रत्येक Rs.40,000/- की राशि के हकदार होंगे। (पैरा 6)

लेख राज शरमा, अधिवक्ता

अपीलार्थी के लिए

सुरिन्द्र गांधी, प्रतिवादी नंबर 1 के लिए अधिवक्ता।

असीम अग्रवाल, अधिवक्ता

उत्तरदाता No.3-Insurance कंपनी के लिए

डॉ. रावी रंजन, जे. ओरल

(1) मैंने अपीलार्थियों के साथ-साथ प्रतिवादी No.3-Insurance कंपनी के विद्वान वकील को सुना है और इस मामले के अभिलेखों का अवलोकन किया है।

(2) यह अपील दावेदार-अपीलकर्ताओं द्वारा अधिनिर्णीत मुआवजे की राशि को बढ़ाने के लिए की गई है, जिसे मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, रेवाड़ी द्वारा

दिनांकित आदेश 03-11-2011 के माध्यम से दी गई थी, जिसमें मोटर वाहन दुर्घटना 30.06.1999 पर हुई थी जिसमें अपीलकर्ता के पति No.1-

सन्तोष देवी, बनाम सुमेर सिंह की मृत्यु हो गई थी।चूँकि कोई प्रति-आपत्ति या प्रति-अपील नहीं है और इस अपील को दावेदारों द्वारा प्राथमिकता दी गई है।

अपीलार्थी केवल मुआवजे की राशि के निर्धारण को चुनौती देते हैं, अन्य विवरणों पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) विवादित निर्णय और पुरस्कार से यह प्रतीत होता है कि 3,36,400-/- रूपये न्यायाधिकरण द्वारा दावेदार-अपीलार्थियों को मुआवजे के रूप में दिया गया है।अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि यह बहुत निचले स्तर पर है क्योंकि भविष्य की संभावना के प्रमुख के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है और संघ के नुकसान के लिए केवल 5,000/-रुपये की अनुमति दी गई है।जहाँ तक अंतिम संस्कार और परिवहन शुल्क का संबंध है, केवल 5,000/- रुपये की अनुमति दी गई है।इसके अलावा,यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि आश्रितों की संख्या पांच है, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार मृतक कीआय का केवल एक चौथाई हिस्सा उसके व्यक्तिगत खर्च के रूप में काटा जाना चाहिए था। सरला वर्मा और अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम और अन्य

(4) जहाँ तक व्यक्तिगत खर्चों की कटौती का संबंध है, सरला वर्मा मामले (उपरोक्त) में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से यह स्पष्ट है कि यदि आश्रितों की संख्या 4 से 6 के बीच है, तो मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के सिर पर आय का केवल 1/4 हिस्सा ही काटा जाना है।वर्तमान मामले में इनकी संख्या पाँच है।यह मानते हुए भी कि पिता मृतक पर निर्भर नहीं था, ऐसे मामले में भी आश्रितों की संख्या चार विधवा और दो नाबालिग बच्चे और मृतक की मां होनी चाहिए और इस प्रकार, अपीलार्थियों की ओर से प्रस्तुत तर्क का यह अंग सही प्रतीत होता है।तदनुसार, इस संबंध में विवादित पुरस्कार को संशोधित करने की आवश्यकता है।

(5) भविष्य की संभावना के मुद्दे को उठाते हुए, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले के बाद भारत ने राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय में प्रदर्शन किया सेठी और अन्य 2 यह मानते हुए भी कि मृतक स्व-नियोजित था या एक निश्चित वेतन पर कार्यरत था या दैनिक वेतनभोगी था, यदि उसकी आयु 40 वर्ष से कम है तो निर्भरता की गणना के लिए भविष्य की संभावना के शीर्ष के खिलाफ स्थापित आय का 40

प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए ।अत: पुरस्कार को इस आधार पर भी संशोधित करने की आवश्यकता है।

(6) जहां तक संघ के हिस्से का संबंध है, इसे प्रणय सेठी मामले (ऊपर)

में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संदर्भ में अनुमति दी जानी

चाहिए, जिसमें कहा गया है कि (2009 एसीजे 1298 (एससी) के नुकसान के लिए Rs.40,000/- दिया जाना है।

2 2017 (4) आर. सी. आर (सिविल) 1009

संघ ।हालाँकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने बाद के निर्णय में मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नानू में दिया राम उपनाम चुहरू राम और अन्य, 3 विचार करने, समझाने और समझाने के बाद प्रणय सेठी के मामले (उपरोक्त) में दिए गए निर्णय के बाद, संघ को तीन प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पहला स्पौसल कंसोर्टियम होगा जो जीवित जीवनसाथी के लिए उनमें से एक की मृत्यु पर उपलब्ध होगा और दूसरा फिलियल कंसोर्टियम होगा, जो माता-पिता को उनके बच्चे की मृत्यु के लिए

उपलब्ध होगा और तीसरा पेरेंटल कंसोर्टियम होगा जो बच्चों को उनके माता-पिता या माता-पिता में से एक के नुकसान के लिए उपलब्ध होगा।माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि वे सभी

संघ के नुकसान के संबंधित प्रमुख के विरुद्ध प्रत्येक Rs.40,000/- की राशि

के हकदार होंगे।

(7) वर्तमान मामले में, दावेदार संख्या 1 मृतक की विधवा है और इस प्रकार, वह Rs.40,000/- के वैवाहिक संघ की हकदार होगी।जहाँ तक दावेदार संख्या 2 और 3, यानी मृतक के नाबालिग बच्चों का संबंध है, उन्हें माता-पिता के संघ के प्रमुख के खिलाफ Rs.40,000/- मिलेगा।जहाँ तक मृतक की माँ और पिता का संबंध है, उन्हें Rs.40,000/- के फिलियल कंसोर्टियम के लिए अनुमति दी जाएगी।

(8) जहाँ तक अंतिम संस्कार के खर्चों का संबंध है, दावेदार-अपीलकर्ता

संपत्ति के नुकसान के लिए Rs.15,000/- और Rs.15,000/- के हकदार होंगे।

(9) तदनुसार, यह न्यायालय निम्नलिखित गणना करके न्यायाधिकरण के

निर्णय को संशोधित करेगा श्री. नहीं मुखिया। मुआवजा दिया गया

क्र सं	मुख्य	मुआवजा दिया गया
1.	न्यायाधिकरण द्वारा मूल्यांकन की गई मृतक की आय	Rs.2400/-per महीना
2.	40% आय को भविष्य की संभावना के रूप में जोड़ा जाता है।	Rs.960-(यानी आय का 40 प्रतिशत) Rs.2400 + Rs.960) = 3360 रुपये/-

3.	व्यक्तिगत खर्च के लिए कटौती 1/4 वां हिस्सा	3360x1/4 वीं = Rs.840 3360-Rs.840=Rs.2520 रु.
4.	कुल आय	25,20 रूप्ये
5.	ट्रिब्यूनल द्वारा गुणक चुना गया	17
6.	निर्भता का पूर्ण नुकशान	5,41,080/-रूप्ये (2520X12X17)
7.	अन्तिम संस्कार का खर्च	15,000/- रूप्ये
8.	सम्पति की हानी	15,000/-रूप्ये
9.	पति–पत्नी, माता–पिता व सन्तान सम्बन्धित सघं की हानी	7,44,080/-रूप्ये
	सम्पूर्ण प्रतिकर	7,44,080/-रूप्ये (कम से कम) 3,36,400/-रूप्ये =4,07,680 /-रूप्ये
	मुआवजे की राशि बढाई गई	

2018(4) (आर सी आर.) सिविल 333

(10) दावा याचिका दायर करने की तारीख से तब तक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज की गणना की जा सकती है जब तक कि दी गई राशि की प्राप्ति को बरकरार नहीं रखा जाता है।

(11) तदनुसार, विवादित पुरस्कार को उपरोक्त सीमा तक संशोधित और बढ़ाया गया है।

(12) परिणामस्वरूप, इस अपील को ऊपर बताए गए हद तक अनुमति दी गई है ।हालाँकि, पक्षकार अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

अंजना रानी

स्पष्टीकरणः– स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके किसी अन्य उददेष्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता हे। सभी व्यवहारिक और अधिकारीक उददेष्यो के लए निर्णय का अग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कायान्वयन के उददेष्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।